सनवीरकौर बनाम स्टेट

A-8/1

10.05.2016

अपील संख्या 8/14

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अपीलांट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध इन्तकाल संख्या 210 दिनांक 19.04.2008 नायब तहसीलदार केसरीसिंहपुर इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन संख्या 167 दिनाक 10.04.08 के आधार पर इन्तकाल दर्ज करते समय अपीलांटा के नाम की 6 एम की खाता संख्या 58/51 की 2.580 हैक्टर के स्थान पर गल्ती से 4.099 हैक्टर दर्ज कर दी गई। अपीलांटा ने कभी इस खाता का विभाजन नही करवाया न ही विभाजन की कार्यवाही की गई अतः इन्तकाल दुरूस्त करने योग्य है। अपीलांटा के कब्जा में भी 2.580 हैक्टर भूमि ही है। अतः विभाजन के आधार पर किया गया इन्तकाल निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। जरिये इन्तकाल संख्या 210 दिनांक 19.04.08 द्वारा अपीलांटा सनवीर कौर के नाम से 4.099 हैक्टर का इन्तकाल दर्ज किया गया है जबकि वकील अपीलांटा का कथन है कि अपीलांटा द्वारा कभी भी विभाजन पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। सहकाश्तकारों के मध्य सहमति से खाता विभाजन हेतु एग्रीमेंट में जो भूमि सनवीर कौर के हिस्से में आई है तथा नायब तहसीलदार केसरीसिंहपुर ने जो खाता विभाजन आदेश दिनांक 10.04.08 जारी किया है उसी अनुरूप नामान्तकरण दर्ज हुआ है उसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। धारा 53 आर टी ए के अन्तर्गत हुए बंटवारनामा की अपील हेतु अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में चाराजोई करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

10/5/16

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner